

छात्रिका व छात्र
 फर्द कि साकडा
 लामिका कि फर्द
 फर्द फिरोक मे

FORM NO. III

फर्द अहकाम

APP-A
 Crim-I
 छात्रिका
 फर्द

(नियम 26)

०८/१/२१

जज अदालत अति० जिला कलक्टर मुकाम सुन्दूर
 सरकार जरिये पुलिस अधीक्षक, सुन्दूर बनाम गैर सायल रामसुख उर्फ रामबन्स पुत्र
श्री भगवत राम प्रीणा, निवासी काय
 किस्म मुकदमा राज० गुण्डा नियन्त्रण अधि० १९७५ नं. 22 सन् 2016

तारीख हुम	हुम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुम की तामील में जारी हुए
-----------	----------------------------------	---

15/1/2020	<p>वकील पदाकारान उप.। थानाधिकारी पुलिस थाना नवलगढ़ से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार गैर सायल रामसुख उर्फ रामबन्स की हत्या हो चुकी है। रिपोर्ट के साथ हत्युपमाण पत्र प्राप्त हुआ है। जिसके अनुसार गैर सायल रामसुख उर्फ रामबन्स की हत्या दिनांक 8/2/16 को होना अमित है। इसी रिपोर्ट में गैर सायल की हत्या होने से उसके विरुद्ध अ. धारा 3/2 के अण्ड (ख) अण्ड (5) राज. गुण्डा नियन्त्रण अधि. 1975 को कार्यवाही श्रेय की जाती है। थानाधिकारी सिवली नवलगढ़ की रिपोर्ट व हत्युपमाण पत्र शामिल पूजावली हो। पूजावली केसेल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा बाद तामील पाठ्या शामिल दर्ज हो। अकेसे</p>	
-----------	---	--

अति. जिला मजिस्ट्रेट
 सुन्दूर